



**Sub District Registry Office, Jagdishpur**

Token Number 15      Reg. Year 2021      Serial Number      Deed Number



PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Lessee	Mohan Ram						
Sig.	<p align="center"><u>मोहन राम</u> 2-1-2021</p>						
Lessor	Bijyendra Kumar Singh						
Sig.	<p align="center"><u>बिजयेंद्र कुमार सिंह</u> 2-1-2021</p>						
Presented By	Dharmendra Kumar Singh						
Sig.	<p align="center"><u>धर्मेंद्र कुमार सिंह</u> 2-1-2021</p>						
Lessor	Dharmendra Kumar Singh						
Sig.	<p align="center"><u>धर्मेंद्र कुमार सिंह</u> 2-1-2021</p>						
Identified By	Ramesh Paswan						
Sig.	<p align="center"><u>रमेश पारवान</u> 2-1-2021</p>						

Photo & Finger  
Imagery Stored by  
Operator

बिजयेंद्र कुमार सिंह  
2/1/2021

2. लेख्यधारी (पट्टाधारक) का नाम एवं पता:-

1. मोहन राम उम्र 60 वर्ष पिता स्व० अगती राम जाति दुसाध पेशा-  
अवकाश प्राप्त सैनिक ग्राम-पो०-लसाढी थाना-अगिऑव (गड़हनी) जिला  
भोजपुर, राज्य-बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय-नागरिक (इसमें, इनके उत्तरा-  
धिकारी स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं)  
जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है। मो० नं०-  
9472490698

3. लेख्य का प्रकार:-

पट्टा/किरायानामा जो 19 साल 11 माह तक प्रभावी रहेगा  
जिस भूमि का उपयोग व्यवसाय के रूप में करेगे और दोनों  
पक्षों की आपसी सहमति से नये शर्तों के अनुरूप नया पट्टा  
का नवीकरण नये विलेख के माध्यम से किया जायेगा।  
4. मासिक किराया : 10,000/- (दस हजार रु०.) मासिक।

5. किरायेदारी सम्पत्ति का विवरण:-

मौजा-अरैला थाना नं०-401 थाना-पवना अंचल-कार्यालय-अगिऑव  
अवर-निबंधन-कार्यालय-जगदीशपुर जिला-निबंधन-कार्यालय-आरा, जिला-  
भोजपुर, राज्य-बिहार

किस्म जमीन -व्यवसायिक परती

खता	खेसरा	एराजी	चौहदी
26	874	2 डि०	30-श्याम लाल प्रसाद
छबीस	आठ सौ चौहतर		द०-राम कुमार सिंह
26	873	8 डि०	पु०-आरा सहार रोड
छबीस	आठ सौ तिहतर		प०-शम्भू प्रसाद वगैरह
103	875	7 डि०	
एक सौ तीन	आठ सौ पचहतर		
37	867	18.5 डि०	
सैतीस	आठ सौ सड़सठ		
26	872	16 डि०	
छबीस	आठ सौ बहतर		

जमा एराजी 51.5 एकड़ दशमलव पाँच डिसमिल  
लगान जमाबंदी मोताबीक अंचल-अगिऑव

स्व० अगती राम  
भोजपुर

2/11/2021  
विजय कुमार सिंह

रमेश प्रसाद

पिता स्व० अगती राम  
आरा डिप्टी एरर गान रोड

## सन्दर्भ

उपर लिखी जमीन लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष की खरीदगी सम्पत्ति है तथा जमाबंदी लेख्यकारीगण के नाम से कायम होकर अंचल राजस्व रसीद कटता चला आ रहा है जिसका जमाबंदी नं०-153/3 वो एक अंचल राजस्व रसीद नं०-652044 दिनांक 02.07.2013 ई० है इस प्रकार उपर लिखी जमीन पर लेख्यकारीगण का अधिकार वो दखल कब्जा चला आ रहा है वो इस समय भी है ।

यह कि लेख्यधारी को तेल कम्पनी के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के लिए बैठाने की जरूरत है अतः लेख्यधारी ने लेख्यकारी से निवेदन किया कि आप अपना जमीन मुझे रिटेल आउटलेट के लिए लीज पर दे दिजिए लेख्यधारी के निवेदन पर लेख्यकारी ने अपनी उपर लिखी जमीन को लेख्यधारी को रिटेल आउटलेट बैठाने के लिए 19 साल 11 माह के लिए लीज पर देने के लिए तैयार हुए ।

इस प्रकार अपने हाल तथा आगे का कुल नफा नुकसान देखते हुए अपने दिलो दिमाग की पूरी स्वस्थता में अपना एराजी को जिसका पूरा विवरण इस वसीका हाजा में दर्ज है उसको लेख्यधारी को लीज पर 19 साल 11 माह के लिए देने पर तैयार हुए तथा दोनो पक्ष के बीच निम्न प्रकार से लीज की बातचीत तय हुई :-

1. यह कि किरायादार उक्त जमीन में कम्पनी के शर्तों के अनुरूप रिटेल आउटलेट के लिए पम्प बैठाने में जो जो कार्यवाही करनी पड़ेगी करेगे, तथा इसके अन्तर्गत रौशनी, नाली पानी, के लिए पम्प इत्यादि बैठा सकते हैं ।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and the date 9/11/2021.

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a signature and the date 9/11/2021.

2. यह कि किरायेदारी वाली जमीन पर कम्पनी से नियुक्त कोई भी कर्मचारी जाँच करने के लिए आ सकता है किसी भी ग्राहक या अन्य अधिकृत पदाधिकारी या कर्मचारी की जाँच करने में जमीन मालिक कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ।
3. यह कि लेख्यधारी के किरायेदारी वाली जमीन का किराया मो०-10,000 दस हजार रु० प्रतिमाह होगा ।
4. यह कि, किरायेदारी वाली जमीन के सरकारी मालगुजारी का भुगतान जमीन मालिक करते रहेगा ।
5. यह कि, किरायादार पानी, बिजली खर्च या अन्य खर्च का वहन स्वयं करेगा ।
6. यह कि, किरायादार सरकारी लाइसेंस, फीस, स्टोरेज फीस, ज्वलनशील लाइसेंस फैंवरी लाइसेंस इत्यादि अपने खर्च से करेगा ।
7. यह कि उक्त किरायेदारी वाली परिसर को किरायादार कम्पनी को कम्पनी के नियमानुसार सबलेट कर सकते हैं ।
8. यह कि, किरायादार अपने व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं या किसी वित्तीय कम्पनी से सहायता ले सकते हैं लेकिन उस लिये गये ऋण की अदायगी किराया अवधि समाप्त होने के पहले ही कर देगे ।

विजय-कुमार  
9/11/2021  
विजय-कुमार (सिंह)

9. यह कि, लीज अवधि की समाप्ति के बाद किरायादार अपना अथवा कम्पनी से संबंधित सारा समान हटाकर जमीन मालिक को खाली दरखल कब्जा दे देगे अथवा दोनो पक्षो को सहमति से निर्णय लिया जायेगा ।

10. यह कि, अपने व्यवसाय के लिए किरायादार कम्पनी का नेम प्लेट साईन बोर्ड ऑयल कम्पनी का प्रचार इत्यादि कर सकते है ।

11. यह कि, उपर लिखी शर्तो से दोनो पक्ष पायबंद हुए वो दोनो पक्ष पर बराबर रूप से लागू होगा ।

12. यह कि, लेख्यधारी उक्त एराजी उपर वर्णित कम्पनी को सब लीज लिखने का अधिकारी होंगे ।

उभय पक्षो ने दस्तावेज किरायेदारी के सभी शर्तो को अपने अपने शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता की स्थिति मे बिना किसी के दबाव एवं भविष्य के सम्पूर्ण लाभ एवं हानि को सोच समझ कर बिना किसी के दबाव एवं बहकावे के स्वेच्छा से लीज के शर्तो के तय कर एवं स्वीकार कर पढ वो पढवा कर सुन वो समझ कर एवं सही धाकर यह दास्तावेज लीज का लिख दिया कि वक्त पर काम आवे ।

यह कि किसी भी पक्ष द्वारा इस विलेख की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रभावित पक्ष को सक्षम न्यायालय का शरण लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा ।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and the date 2/11/2021.

Handwritten signature and stamp at the bottom center of the page.

स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क के लिए गणना की तालिका


1. पट्टा (लीज) की अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान की जाने वाली किराये की रकम- 10,000/-रुपया मासीक है ।
2. पट्टा(लीज) सम्पति का एम.भी.आर.मूल्य मो0- 23,18,000 रु0होता है जिस पर सरकारी के द्वारा तय निर्धारत मुल्य 15 प्रतिशत का देय से मो0- 3,48,000तीन लाख अड़तालीस हजार रु0मात्र होता है

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यह किरायेनामा विलेख समझ-बुझकर लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण:-

1. रमेश चारण लेख्यकारी/प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर  
रमेश चारण  
2/1/2021
2. विजयेंद्र कुमार सिंह लेख्यधारी/द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर  
विजयेंद्र कुमार सिंह  
2/1/2021

मोहनराम  
2-1-2021



मोहनराम  
2-1-2021  
रजि 090572/04  
टा: 2-1-2021

रमेश चारण  
2/1/2021  
विजयेंद्र कुमार सिंह  
2-1-2021

### Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'. '||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.


Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 21880/-**  
 Addl. Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt. Paid By N.J Stamp Paper **Rs. 1000/-**  
 Amt. paid through Bank Challan **Rs. 29640/-**

Registration Fee											
FEE PAID	A1	6960	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0	
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0	
										<b>TOTAL-</b>	<b>7960</b>
	Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										<b>8760</b>

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	550	250
Proc. Fee	0	
<b>Total</b>	<b>550</b>	

Date: 02/01/2021

  
 Registering Officer  
 Jagdishpur

### Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Jagdishpur on Saturday, 02nd January 2021 by Dharmendra Kumar Singh Bhuneshwar Prasad Singh by profession Agriculture. Status - Lessor

*Dharmendra Kumar Singh*  
 2/1/21

Signature/L.T.I. of Presentant


Date: 02/01/2021

  
 Registering Officer  
 Jagdishpur

### Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Ramesh Paswan' age '48' Sex 'M', 'Jagdev Paswan', resident of 'Diliya Bhojpur'. ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 02/01/2021


  
 Registering Officer  
 Jagdishpur

### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Jagdishpur in Book 1 Volume No. 1 on pages on 143 -151, for the year 2021 and stored in CD volume No. CD-1 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 02/01/2021

Token No. : 15      Year : 2021      S.No. : 15      SCORE Ver.4.1

  
 Registering Officer  
 Jagdishpur  
 Deed No. : d No. : 15

PROHIBITION, EXCISE & REGISTRATION DEPARTMENT GOVT. OF  
BIHAR

Appointment Slip

Important Note:-

- अपॉइंटमेंट की तिथि से दो दिन पहले तक अपॉइंटमेंट रद्द कर सकते हैं। इस हेतु biharregd.bihar.gov.in पर लिंक दिया हुआ है।
- If appointment is not confirmed, then do not go to registration office. Wear face cover/face mask compulsorily.
- Each party will have to wash his/her hand with soap before putting finger on biometric device.
- No person will stand at a distance of less than one meter from other.
- No request will be considered for registration of document without appointment.
- If e-stamp paper of e-stamp number printed on appointment slip is not attached in the document, then appointment will be considered invalid.

Date Code : 2901  
Name of Present : DHARMENDRA KUMAR SINGH  
Type of Document : Lease  
Appointment Date : 02-01-2021 00:00:00  
Booking Date : 01-31-2021 00:00:00

Office Name : Jagdishpur  
Reference No : 290120210101012  
Circle Name : AGIAON  
Appointment Time : 11:23 AM  
Local Body : Rural

Payment Details

Payment Mode : GRN  
GRN/STK No. : BHR202101004539M

- No appointment will be cancelled automatically.
- कोई अपॉइंटमेंट स्वतः रद्द नहीं होगा।

Payment Status

Booking Status : Confirmed  
Payment Status : Confirmed  
Stamp Amount : 20380  
Registration Fee : 7950  
LLR and Processing Fee : 550

- Cancel appointment for registration of deed upto two days before date of appointment. from the site biharregd.bihar.gov.in

Note 1 :- This appointment is valid for registration of single document only and print out of confirmed appointment should compulsorily be attached with document to be registered.

Note 2 :- Appointment shall be considered invalid if proof of proper stamp, registration fee and other fees including service charge have not been attached with documents to be registered in this appointment.

Sign. of Party/Representative

2/11/2021

Checked By

Officer-in-Charge